# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

## 83वीं बैठक, दिनांक 17 नवम्बर, 2022

## कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 83वीं बैठक, दिनांक 17.11.2022 को अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में सचिवालय, देहरादून में संपन्न हुई। बैठक में श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोतम, सचिव, पशुपालन एवं ग्राम्य विकास, श्री सी. रविषंकर, अपर सचिव, वित्त एवं पर्यटन, उत्तराखंड षासन, श्री देव कृष्ण तिवारी, अपर सचिव, एम.एस.एम.ई. उत्तराखंड षासन, श्रीमती लता विष्वनाथ, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, श्री भाष्कर पंत, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून, श्री डी. एस. रावत, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड, रेखीय विभागों एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

### (1) कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ स्वामित्व कार्ड को Title documents बनाये जाने हेतु राज्य के Act में संषोधन किया जाय, जिससे स्वामित्व कार्ड को ऋण में प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security) के तौर पर बैंक द्वारा साम्यिक बंधक (Equitable Mortgage) किया जा सकता है, का षासनादेष जारी किये जाने की षासन से अपेक्षा है।

➢ ऋण जमा अनुपात बढाने हेतु कृषि अवसंरचना निधि (AIF) तथा एम.एस.एम.ई. योजना अंतर्गत बड़े आकार के ऋण प्रदान करने एवं अधिक औद्योगिक पार्क की स्थापना किये जाने की आवष्यकता है।

- सचिव, पशुपालन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि Project Management Unit (PMU) गठन की कार्यवाही प्रक्रियारत है, अतः माह नवम्बर, 2022 के अंत तक PMU का गठन कर दिया जायेगा।

- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत बैक षाखाओं में एम.एस.एम.ई. स्पेषल डेस्क बनाये जाने की आवष्यकता है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

➢ सम्बन्धित विभाग को निर्देषित किया गया कि वे स्वामित्व कार्ड विषयक अनुवर्ती कार्यवाही कर आवष्यक दिषानिर्देष जारी करें।

➢ राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के षाखा प्रबन्धकों द्वारा आगामी एस.एल.बी.सी. की बैठक में वी.सी. के माध्यम से प्रतिभागिता की जाय।

**(कार्यवाही : राजस्व विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/वित्त विभाग/समस्त बैंक)**

### (2) उप–समितियों की बैठकों के कार्य बिंदु :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे नई बैंक षाखा खोलने हेतु स्थान का चयन दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में करें, जिससे कि दूर दराज क्षेत्रों में प्रवास कर रहे नागरिकों को बैंकिंग सेवायें प्राप्त हो सके।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग विभाग को निर्देषित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में overlapping है, अतः वित्त विभाग से समन्वय कर स्पष्ट किया जाय कि किन–किन योजनाओं को चालू रखा जाय।

**(कार्यवाही : उद्योग विभाग/वित्त विभाग/समस्त बैंक)**

**(2) <u>केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें</u> :**

सहायक निदेषक, के.वी.आई.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत निरस्त ऋण आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है तथा बैंकों द्वारा मार्जिन मनी क्लेम पोर्टल पर दर्ज करना अवषेष है।
- समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे मार्जिन मनी क्लेम पोर्टल पर अतिषीघ्र दर्ज करें एवं लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।

सहायक निदेषक, षहरी विकास निदेषालय द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 25000 के सापेक्ष आतिथि तक 16604 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 14500 वितरित किये गये हैं। माह दिसम्बर, 2022 तक 30000 ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित कर दिये जायेंगे।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत विभिन्न बैंक षाखाओं में 3053 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु तथा 2246 ऋण आवेदन पत्र वितरण हेतु लम्बित है।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 1st tranche के 7251 ऋण खाते बंद हो चुके हैं, जिन्हे बैंकों द्वारा सी.बी.एस. में closer दर्षित करना अवषेष हैं।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- पी एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 7251 ऋण खाते बंद हुये हैं, जिसमें से 2896 उद्यमियों को 2nd tranche में ऋण प्रदान किया गया है तथा बैंक अवषेष 4355 खातों को एक सप्ताह के अन्दर सी.बी.एस. एवं पोर्टल में close करें ताकि वे 2nd tranche में ऋण लेने हेतु योग्य हो सकें।
- पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी का वार्षिक लक्ष्य रु. 51.71 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग को बड़े ticket size के ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करने की आवष्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- समस्त सम्बन्धित बैंक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत लम्बित मार्जिन मनी क्लेम पोर्टल में दर्ज करें।
- बैंक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण 30 नवम्बर, 2022 तक करना सुनिष्चित करें।
- समस्त बैंक योजना अंतर्गत आवंटित लक्ष्य का 75 प्रतिषत लक्ष्य माह दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।
- बैंक अवषेष 4355 खातों को एक सप्ताह के अन्दर सी.बी.एस. एवं पोर्टल में close करें।
- षहरी विकास विभाग, पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत प्रत्येक षुक्रवार की सांय को वैन्डर को बैंक षाखा में ले जांये तथा ऋण विषयक आवष्यक कार्यवाही करें।
- समस्त बैंक एस.सी.पी., एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम., पी.एम. स्वनिधि एवं पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का 30 नवम्बर, 2022 तक निस्तारण करना सुनिष्चित करें।

**(कार्यवाही : षहरी विकास विभाग/समस्त बैंक)**

(2) <u>राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें</u> :

अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना अंतर्गत बैंक षाखाओं में कुछ ऋण आवेदन पत्र तीन–चार माह से अधिक समय से लम्बित है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय में निस्तारण करें।

उप निदेषक, उद्योग द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- एम.एस.वाई. नैनो ऋण योजना में आतिथि तक 6816 ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से 2115 स्वीकृत तथा 1180 वितरित किये गये हैं।

**मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** :

- उरेडा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि GST, Custom duty एवं बढती महंगाई को मध्यनजर रखते हुये परियोजना की व्यवहार्यता बनाये रखने हेतु निर्धारित अधिकतम ऋण राषि रु. 10.00 लाख को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बिचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- आगामी एस.एल.बी.सी. की बैठक में पिछले वर्ष से तुलना करते हुये, ग्राफिक प्रस्तुतीकरण किया जाय।
- समस्त बैंक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, एम.एस.वाई., एम.एस.वाई. नैनो योजना अंतर्गत बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का 30 नवम्बर, 2022 तक निस्तारण करना सुनिष्चित करें।
- समस्त बैंक योजना अंतर्गत आवंटित लक्ष्य का 75 प्रतिषत लक्ष्य माह दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।
- उरेडा विभाग, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना विषयक आर्थिक व्यवहार्यता की पुनः समीक्षा करें।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग विभाग को निर्देषित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में overlapping है, अतः वित्त विभाग से समन्वय कर स्पष्ट किया जाय कि किन–किन योजनाओं को चालू रखा जाना है।

**(कार्यवाही : उरेडा विभाग/उद्योग विभाग/समस्त बैंक)**

(3) <u>एन.पी.ए.</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
- सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. बढ़ रहे हैं। अतः सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे बढते हुये एन.पी.ए. को कम करने में बैंकों को सहयोग प्रदान करें।
- बैंकिंग व्यवस्था को संपोषणीय (sustainable) बनाये रखने हेतु आवष्यक है कि बढ़ते हुये एन.पी.ए. को युद्वस्तर पर कम किया जाय।

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एन.पी.ए. खाताधारकों से सम्पर्क कर one time settlement (OTS) योजना अंतर्गत ऋण खाते में समझोता कराकर ऋण खातों को बंद किया जाता है। नेषनल लोक अदालत में भी ऋण खाताधारकों के साथ समझोता कराकर, लोक अदालत द्वारा ऋण खाता बंद कराने का आदेष पारित किया जाता है ।

- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभिन्न योजनाओं अंतर्गत बढ़ते हुये एन.पी.ए. के दृष्टिगत, भारतीय रिजर्व बैंक इस संदर्भ में अध्ययन करेगा।

(4) <u>लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- दिनांक 30.09.2022 तक आर.सी. की जिलावार स्थिति से षासन को अवगत करा दिया गया है।
- षासन से अपेक्षा है कि वे लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली बढ़ाने हेतु प्रषासन को निर्देषित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों विषयक अषासकीय पत्र (D.O. Letter) समस्त जिला अधिकारियों को प्रेषित किया जाय।
- जिला स्तर पर आयोजित Tax Collection Meeting में अग्रणी जिला प्रबन्धक की प्रतिभागिता सुनिष्चित करते हुये, वसूली प्रमाण पत्रों की समीक्षा भी की जाय।

**(कार्यवाही : वित्त विभाग)**

(5) <u>बिजनेष कॉरेस्पोंडेंट (B.C.)</u> :

- सचिव, पशुपालन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बी.सी. के कार्य के संदर्भ राज्य में कार्यरत बैंक सखीयों एवं उपासकों को प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि जहां पर बी.सी. नही हैं वहां पर बैंक सी.एस.सी. को बी.सी. बनाने हेतु आवष्यक कार्यवाही करेंगे।

**(कार्यवाही : समस्त बैंक)**

(6) <u>सामाजिक सुरक्षा योजना</u> :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
- मुख्य विकास अधिकारी, जिले में आयोजित विभिन्न प्रकार के कैम्पों में अग्रणी जिला प्रबन्धकों को षामिल करते हुये सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करें।
- मुद्रा योजना अंतर्गत लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करते समय सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित किया जाय।

**(कार्यवाही : वित्त विभाग/समस्त बैंक)**

(7) <u>ऋण जमा अनुपात</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य का ऋण जमा अनुपात बढाये जाने हेतु बैंकों को बड़े ticket size के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत/वितरित किये जाने की आवष्यकता है, जिसमें समस्त विभागों का सहयोग आवष्यक है।

**(कार्यवाही : समस्त बैंक)**

(8) <u>भूलेख पोर्टल</u> :

- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला हरिद्वार के लक्सर तहसील के अंतर्गत बैंक में बन्धक भूमि से सम्बन्धित ऋण खाता बन्द किये बिना, भूमि का बिक्रय किया गया है तथा क्रेता की खसरा खतौनी में अंकित किया गया है कि क्रय की गयी भूमि पर ऋण अदायगी तक ऋण पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त संदर्भ में बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देषित किया गया कि उपरोक्त विषयक जिला अधिकारी, हरिद्वार को पत्र प्रेषित करें तथा पत्र की प्रतिलिपि एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

**(कार्यवाही : बैंक ऑफ बड़ौदा)**

## (9) Credit access to the FPOs :

- महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि यदि कृषक उत्पादक संगठन (FPO) बैंकों को सम्पार्षिक प्रतिभूति (collateral security) उपलब्ध कराने में सक्षम नही है तो ऐसे ऋण को NABsanrakshan Guarantee Fund के अंतर्गत आच्छादित किया जा सकता है।

## (10) ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (RSETIs) :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देषित किया गया कि ऐसे प्रषिक्षणार्थियों, जिन्होने आरसेटी से प्रषिक्षण प्राप्त किया है, का क्रेडिट लिंकेज करवाया जाना सुनिष्चित किया जाय, ताकि उन्हे रोजगार प्राप्त हो।

**(कार्यवाही : निदेषक आरसेटी)**

## (11) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कृषि बीमा कम्पनी द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मौसम रबी 2022–23 अंतर्गत बीमा आच्छादन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर, 2022 है तथा भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर सम्बन्धित सूचना entry/upload करने के साथ PayGov के माध्यम से प्रीमियम राषि प्रेषित करने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 2022 है।
- पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) मौसम रबी 2022-23 अंतर्गत बीमा आच्छादन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 है व भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर सम्बन्धित सूचना entry/upload करने के साथ PayGov के माध्यम से प्रीमियम राषि प्रेषित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2023 है।
- समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे उपरोक्तानुसार समय सीमा में बीमा आच्छादन एवं बीमा पोर्टल पर कृषकों के डाटा अपलोड करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

- सम्बन्धित विभागों एवं ए.आई.सी. द्वारा बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाय तथा बीमा योजना के लाभ से कृषकों को अवगत कराया जाय।
- जिन कृषकों द्वारा opt out फार्म बैंक षाखा में जमा किया गया है, को छोड़कर, बैंक समस्त ऋणी कृषकों की फसल का बीमा करना सुनिष्चित करें।

**(कार्यवाही : कृषि विभाग/ए.आई.सी./समस्त बैंक)**

## (12) उद्यम रजिस्ट्रेषन :

उप निदेषक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में 1,11,000 उद्यमियों का उद्यम रिजस्ट्रेषन किया गया है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- जिन उद्यमियों का उद्यम रजिस्ट्रेषन संषोधित एम.एस.एम.ई. दिषानिर्देषानुसार नही हो रखा है, उन खातों को बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में नही लेंगें तथा वे प्राथमिकता क्षेत्र में मिलने वाले लाभ से वंचित रह जायेंगे।
- एम.एस.एम.ई. विभाग एवं बैंकों से आग्रह है कि वे अतिषीघ्र एम.एस.एम.ई. खाताधारकों का उद्यम रजिस्ट्रेषन करवायें।

संशोधित एम.एस.एम.ई. दिषानिर्देषानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों का वर्गीकरण Micro, Small & Medium Enterprises में वर्गीकरण, इकाई में प्लांट एण्ड मषीनरी की लागत एवं टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। बैंकों से आग्रह है कि वे एम.एस.एम.ई. खातों का वर्गीकरण नई एम.एस.एम.ई. दिषानिर्देषानुसार करना सुनिष्चित करें।

**(कार्यवाही : समस्त बैंक)**

(13) <u>बाजार की बुद्विमत्ता (Market Intelligence)</u> :

- जिला उत्तरकाषी में जन षक्ति मल्टी परपज को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 के सम्बन्ध में श्री रमेष जगूड़ी, निवासी तिलोथ बैण्ड द्वारा जिलाधिकारी, उत्तरकाषी को दर्ज की गयी षिकायत के संदर्भ में समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि संयुक्त सचिव भारत सरकार एवं केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियां, नई दिल्ली द्वारा निम्नवत आदेष जारी किया गया है : It is clarified that the existing multi-state cooperative credit societies/multipurpose cooperative societies which are having area of operation of the various states are not required to get NOC from the particulars states/UTs which are already approved in the Bye-Laws by the central Registrar of cooperative societies.

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा उपरोक्त आदेष के संदर्भ में सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 को राज्य के निबन्धकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवष्यक किया जाये, ताकि वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी से नागरिकों की सुरक्षा की जा सके।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा एस.एल.बी.सी. को निर्देषित किया गया कि उक्त प्रकरण, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाईटी के संज्ञान में लाया जाय।

**(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)**

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)